रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2017/आषाढ़ 23, 1939
No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2017/ ASADHA 23, 1939

IndiaCode

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2017

सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 4).—आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) (2017 का संख्या 2) एवं आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) (2017 का संख्या 3) विनियम, 2017 के विनियम 12ए का प्रयोग करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है, नामत: :—

1. जबकि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") के प्रावधानों और उस आधार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियम अधिनियम 14 सितम्बर, 2016 से प्रभावी हो गया है और इस संबंध में अधिसूचनाएं सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं,

2. और जबकि धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 ("पीएमएल नियम 2005") में 1 जून 2017 से संशोधन किया गया है, जिसके अधीन सभी बैंक खातों के लिए आधार आवश्यक है। बैंकों द्वारा सभी मौजूदा बैंक खातों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार के साथ सत्यापित किया जाना है, ऐसा न करने पर खाते निष्क्रिय हो जाएंगे,

3. और जबकि आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) (2017 का संख्या 2) एवं आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) (2017 का संख्या 3) विनियम, 2017 के विनियम 12 ए में व्यवस्था है कि

12ए- दायित्व पूर्ति आदि के लिए आधार की अपेक्षा रखने वाली संस्थाएं:—

प्राधिकरण को किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी विभाग अथवा एजेंसी अथवा किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी अन्य संस्था, जो किसी व्यक्ति से किसी सब्सिडी, लाभ, सेवा अथवा किसी अधिनियम या नियम या विनियम या इनके अन्तर्गत बनाए गए आदेश के अनुसरण में दायित्व पूर्ति के लिए अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त रखती है, से यह अपेक्षा होगी कि वे अपने परिसर में नामांकन केन्द्र स्थापित करें ताकि ऐसे व्यक्ति, जिसने अभी तक नामांकन नहीं कराया है या अपना आधार विवरण अद्यतन नहीं कराया है, का नामांकन सुनिश्चित हो।

4. और जबकि ऐसे 100 करोड़ से अधिक बैंक खाते हैं, जो उपर्युक्त तारीख से पहले सत्यापित किए जाने होंगे और हर नए ग्राहक को भी आधार के साथ सत्यापन कराने की आवश्यकता होगी,

5. और जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बैंक खाताधारकों का बड़ा हिस्सा है, जिन्हें अपने बैंक खातों को अपने आधार संख्या के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता होगी,

6. इसलिए, यह आवश्यक है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आधार नामांकन और अद्यतन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि पीएमएल नियम, 2005 के उपर्युक्त संशोधन के कारण उनके ग्राहकों को कोई अनावश्यक कठिनाई न हो।

7. और इसलिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) (2017 का संख्या 2) एवं आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) (2017 का संख्या 3) विनियम, 2017 के विनियम 12 ए का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को निम्नानुसार आधार नामांकन और अद्यतन सुविधाएं उपलब्ध कराएं:

i. हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 30 अगस्त, 2017 तक अपने परिसर के अंदर अपनी हर 10 शाखाओं में से न्यूनतम एक शाखा में आधार नामांकन और अद्यतन सुविधा स्थापित करें।

ii. नामांकन और अद्यतन सुविधा के लिए शाखाओं का चयन इस तरह किया जाए कि इनमें सभी जिला मुख्यालय, जहां वे मौजूद हैं, शामिल हों, और हर जिले में अधिक से अधिक तालुका / ब्लॉक इनके अन्तर्गत आ जाएं।

iii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों, आम जनता और यूआईडीएआई को बैंक शाखाओं की अवस्थिति, जहां उनके द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, की जानकारी अधिसूचित करेंगे। ऐसी शाखाओं की सूची अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करेंगे। अवस्थिति में किसी भी परिवर्तन को उपर्युक्त तरीके से जल्द से जल्द अधिसूचित करेंगे।

iv. बैंक अपने विवेक से अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए आधार नामांकन और अद्यतन सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

v. बैंक अपने ग्राहकों से आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क वसूल कर सकते हैं।

vi. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यदि उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो वे नामांकन और अद्यतन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनेंगे।

8. इन निर्देशों के अनुपालन ना करने पर आधार अधिनियम की धारा 42 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./148/17]

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2017

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 4 of 2017).—In exercise of Regulation 12A of the Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017 (No. 2 of 2017) and the Aadhaar (Enrolment and Update) (Third Amendment) (No. 3 of 2017), the Unique Identification Authority of India (UIDAI) hereby issues the following notification, namely:—

1. Whereas the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ("Aadhaar Act"), and Regulations framed thereunder the Aadhaar Act have come into effect from 14th September, 2016 and notifications to this effect have been published in the Official Gazette,

2. And Whereas the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 ("PML Rules 2005") have been amended with effect from June 1, 2017 to require Aadhaar for every bank account. All existing Bank accounts have to be verified with Aadhaar by the banks by 31st December, 2017, failing which the accounts will become inoperative,

3. And Whereas Regulation 12A of the Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017 (No. 2 of 2017) and the Aadhaar (Enrolment and Update) (Third Amendment) (No. 3 of 2017) provides that:

"**12A. Entities requiring Aadhaar as condition for fulfillment of any obligation, etc.—**

The Authority may require any Central or State department or agency or any Scheduled Bank or any other entity which requires an individual to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number as a condition for receipt of any subsidy, benefit, service or fulfillment of any obligation pursuant to any Act or Rule or Regulation or order made thereunder, to ensure enrolment of such individual who is yet to be enrolled or update their Aadhaar details, by setting up enrolment centres at their premises.",

4. And Whereas there are more than 100 Crore bank accounts which will be required to be verified before the aforesaid date and every new customer will also be required to be verified with Aadhaar,

5. And Whereas Scheduled Commercial Banks have major share of bank account holders who will need to authenticate their bank accounts with their Aadhaar numbers,

6. Therefore, it is necessary to provide Aadhaar enrolment and update facilities in Scheduled Commercial Banks so that no undue hardship is caused to their customers owing to the aforesaid amendment of the PML Rules, 2005,

7. And Therefore Unique Identification Authority of India, in exercise of Regulation 12A of the Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017 (No. 2 of 2017) and the Aadhaar (Enrolment and Update) (Third Amendment) (No. 3 of 2017), hereby directs that every Scheduled Commercial Bank shall provide Aadhaar enrolment and update facilities to its customers in the following manner:

i. Every Scheduled Commercial Bank shall set up Aadhaar enrolment and update facility inside its bank premises at a minimum of 1 out of their every 10 branches by 30th August, 2017.

ii. The selection of branches for enrolment and update facility shall be such that it covers all the district headquarters where it is present, and that there is maximum coverage of Talukas/Block in every district.

iii. The Scheduled Commercial Bank shall notify to its customers, the general public, and UIDAI of the locations of branches where Aadhaar enrolment and update facilities will be provided by them. The list of such branches shall be displayed on its websites. Any changes in locations shall be notified at the earliest in the aforesaid manner.

iv. The Banks may at its discretion provide the Aadhaar Enrolment and Update facility to customers of other banks.

v. The Bank may charge the customers for the Aadhaar enrollment and update services at the rate prescribed by UIDAI.

vi. The Scheduled Commercial Bank shall, if not already done so, become Registrar of UIDAI for providing enrolment and update facilities.

8. Any non-compliance of these directions shall be dealt under Section 42 of the Aadhaar Act.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./148/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.14 17:50:03 +05'30'